न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़।

प्रकीर्ण वाद सं०–१/१८

त्रिभुवन प्रति शमसेर सिंह आदि

दिनाँक–१२.१०.२०१८

प्रार्थी त्रिभुवन की तरफ से प्रार्थना पत्र अं० धारा–१५६(३)दं०प्र०सं० पर विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है, पत्रावली आदेशार्थ नियत है।

प्रार्थी त्रिभुवन सिंह ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से कथन किया है कि उसका टेम्पू जिसका वाहन नं०–यू०पी०–५० एफ/४८२४ है उसका ड्राईवर जिसका नाम शमशेर सिंह उर्फ सिन्टू है जो ग्राम नगेहटी थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर का निवासी है, उसका टैम्पू चलाता था दिनाँक १५.१२.२०१७ को उसने गाड़ी प्रार्थी को नहीं दिया, गाड़ी चलाने के लिए वह राम प्रवेश पाण्डे के सामने दिया था वह गाड़ी कहीं बेच दिया है या कहीं बेचने की नियत से छिपाया है। घटना की शिकायत थाने पर की गयी कोई कार्यवाही नहीं किया जिस पर उसने पुलिस अधीक्षक से की गयी कोई कार्यवाही न होने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिये।

प्रार्थना पत्र पर थाने से आख्या आहूत की गयी जिस पर थाना सिधारी द्वारा यह आख्या दी गयी है कि प्रकरण एवं घटना स्थल थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर से सम्बन्धित है जिस पर थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर से आख्या न्यायालय द्वारा तलब की गयी जो सम्बन्धित थाने द्वारा इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी कि प्रकरण उक्त थाने से सम्बन्धित नहीं है।

प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने विपक्षी को जौनपुर का निवासी बताते हुए उसे अपना टैम्पू चलाने हेतु दिया जाना एवं विपक्षी द्वारा उक्त टैम्पू को किसी अन्य को बेच देना या बेचने हेतु छिपा दिये जाने का आरोप लगाया है। प्रार्थना पत्र के कथनों से घटना स्थल के एवं विपक्षी के कृत्य के सम्बन्ध में कथन स्पष्ट नहीं है। थाने की आख्या भी उक्त आशय की प्रस्तुत की गयी हैं। जिससे किसी प्र कार के संज्ञेय अपराध का गठित होना स्पष्ट नहीं होता है। स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर प्रार्थी को प्राप्त होगा। तदनुसार प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी त्रिभुवन सिंह की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं० धारा–१५६(३)दं०प्र०सं० खारिज किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

आजमगढ़।